(7)

सेवा मे,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
निदेशक रक्षा सम्पदा अधिकारी
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
मध्य कमान, लखनऊ छावनी

विषयः– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि छावनी क्षेत्र सिविल एरियों व आउट साइड सिविल एरियों मे विभाजित है, सिविल एरियों का प्रबन्धतीय तंत्र छावनी परिषद् के अधीन है तथा आउट साइड सिविल एरियों का रक्षा सम्पदा अधिकारी के अधीन है दोनो की भूमि के लिए अलग–अलग अधिकार्यता (*JURISDICTION*) हैं इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध करायें।

1. यह है कि छावनी क्षेत्र मे भूमि निति पत्र संख्या 11013/5/940/डी (भूमि) दिनांक 09/02/1995 व दिनांक 15/05/1995 में नोटिफाईड सिविल एरियों में स्थित बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियों को फ्री होल्ड करने का विवरण दिया गया है, इसी निति के अन्तर्गत छावनी परिषद् अगर अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि को फ्री होल्ड करता है तो क्या यह निति नोटिफाईड सिविल एरियों में स्थित रक्षा सम्पदा की बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियो पर लागू होती है अथवा नहीं, अवगत करायें।
2. यह है कि अगर छावनी परिषद् द्वारा किसी क्षेत्र को सिविल क्षेत्र में घोषित किया हैं एवं उस क्षेत्र में छावनी परिषद् ने अपने अधिकार क्षेत्र की बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियों को भूमि निति वर्ष 1995 के अन्तर्गत फ्री होल्ड किया हैं उस क्षेत्र में रक्षा सम्पदा की बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियों पर अगर यह निति वर्ष 1995 लागू नही होती है तो उस क्षेत्र में रक्षा सम्पदा की बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियों को फ्री होल्ड करने की प्रतिक्रिया/नियम क्या हैं अवगत करायें।
3. यह है कि छावनी अधिनियम 2006 की धारा 46 के अन्तर्गत बोर्ड सेन्य क्षेत्र के उस हिस्से को सिविल क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर सकता है जिसमे की बडी संख्या में सिविल आवादी निवास करती हों उस क्षेत्र की छावनी परिषद् व रक्षा सम्पदा की बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियों को भूमि निति वर्ष 1995 के तहत फ्री होल्ड किया जा सकता है अथवा नहीं, फ्री होल्ड करने की प्रतिक्रिया अलग है तो अवगत करायें।
4. यह है कि रक्षा सम्पदा की बी–3 ओल्ड ग्राण्ड भूमियॉ जो कि सिविल क्षेत्र में गार्डन प्रयोग हेतु हैं उन भूमियो को फ्री होल्ड/व्यवसायिक/सीलिंग मे परिवर्तित करने की क्या प्रतिक्रिया है अवगत करायें।

158/3/4

अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दोनो विभाग जोकि आपके अधिकार क्षेत्र में है कि सूचना उपलब्ध कराने हेतु *I.P.O No.037F – 174189* मूल्य दस रूपया संलग्न किया जा रहा है। जिससे आपके द्वारा उपरोक्त सूचनायें समय–सीमा में प्राप्त हो सकें।

दिनांकः 23/03/2018

3/4/2018

संलग्नः

1. *I.P.O No.037F – 174189*

भवदीय

विमल दीक्षित
निवासी– 242 सी वैस्ट
अर्जुन नगर, आगरा

e-mail

सं०: 52692/RTI/ LANDs/Apr-June2018/8
कार्यालय प्रधान निदेशक
रक्षा सम्पदा, रक्षा मंत्रालय
मध्य कमान, 17 , करियप्पा रोड
लखनऊ छावनी-226002
दिनांक 06 अप्रैल2018

सेवा मे,

समस्त केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
कार्या० रक्षा सम्पदा अधिकारी/ कार्या० छावनी परिषद
मध्य कमान, लखनऊ छावनी

विषय- **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र का स्थानांतरण**

श्री विमल दीक्षित, निवासी -242 सी वैस्ट, अर्जुन नगर ,आगरा का आरटीआई आवेदन दिनांक 23.03.2018 इस निदेशालय मे प्राप्त हुआ है, उक्त आवेदन पत्र को जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपके कार्यालय भेजा जा रहा है क्योंकि मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से संबन्धित है।

2. आप से अनुरोध है कि वांछित सूचना आवेदक को आविलम्ब भेजते हुए इस निदेशालय को भी अवगत कराएं।
संलग्नक: यथोपरि

(मोनी वर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (भूमि)
कार्यालय प्रधान निदेशक
रक्षा सम्पदा, मध्य कमान

प्रतिलिपि

1. श्री विमल दीक्षित, निवासी -242 सी वैस्ट, अर्जुन नगर ,आगरा, उ०प्र० — आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 23.03.2018 को जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संबन्धित कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाता है अतः इस संबंध मे आगे कि सूचना हेतु संबन्धित जन सूचना अधिकारी से संपर्क करें।

2. लेखा अनुभाग
निदेशालय रक्षा सम्पदा
मध्य कमान, लखनऊ — भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं 037 एफ़- 174189 मूल्य रू० 10/- आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

छावनी परिषद मथुरा Cantonment Board Mathura	
दिनांक	सं० ......
छा.अ.अ. C.E.O.	
का. अधी. O.S.	
अनुभाग Section	

Recd.
03/4/18